

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 206/11

संस्थापन दिनांक:-26/07/11

फाईलिंग नं. 233504000112011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

गणेश पिता तुलसीराम भोयर
 उम्र 32 वर्ष, निवासी पवार मोहल्ला बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 10.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 (दो काउंट में) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.07.2011 को शाम 06:00 बजे बोड़खी बाजार थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी योगेश एवं आहत गोल्डेश को चाकू जैसे किसी हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324(दो काउंट में) भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2011 को फरियादी योगेश, गोल्डेश एवं कमलेश तीनों सब्जी लेने बाजार गये थे। गणेश पवार की सब्जी की दुकान से गोल्डेश सब्जी खरीदने लगा। तभी गणेश ने पुराने केस को लेकर गोल्डेश को मादरचोद बहनचोद की गालियां दिया और चाकू जैसी किसी चीज से गोल्डेश को मारा जो उसकी गर्दन में बांधे तरफ लगा। जब कमलेश और वह बचाने गये तो गणेश ने किलो वॉट से बांधे कंधे पर कमलेश को मारा। अभियुक्त ने उन्हें रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 187/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान आहत गोल्डेश की मृत्यु हो चुकी है।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.07.2011 को शाम 06:00 बजे बोड़खी बाजार थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी योगेश एवं आहत गोल्डेश को चाकू जैसे किसी हथियार से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

7 कमलेश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त गणेश को जानता है। घटना लगभग 4-5 साल पहले की है। घटना के समय वो लोग सब्जी लेने बोड़खी बाजार गये थे जहां गणेश से सब्जी खरीदने को लेकर गोल्डेश का विवाद हो गया था तथा गणेश एवं गोल्डेश के मध्य झूमा झटकी हो गयी थी जिसमें गोल्डेश गिर गया था जिससे कोई नुकिनी चीज उसकी गर्दन में गढ़ गयी थी।

8 योगेश (अ.सा.-2) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय कमलेश, गोल्डेश और वह सब्जी खरीद रहे थे तभी आरोपी गणेश ने पुराने केस पर से उसे मादरचोद बहनचोद की गालिया दी थी और धक्का मुक्की कर उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि धक्का मुक्की करने से वह गिर गया था और गोल्डेश को विवाद में गिरने से चोट आयी थी। साक्षी के अनुसार गोल्डेश को बचाने वह और कमलेश गये थे तो गणेश ने कमलेश के साथ वॉट से मारपीट की थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना आमला में रिपोर्ट की थी जो (प्रदर्श प्री-2) है।

9 डॉ.वी.पी. चौरिया (अ.सा.-3) ने दिनांक 08.07.2011 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर कार्यरत रहते हुए आहत गोल्डेश का परीक्षण करना बताते हुए आहत के बांये जबड़े के एंगल पर मांसपेशी की गहरायी तक एक 3 गुणा 1 सेमी आकार का फटा हुआ घाव तथा उक्त दिनांक को ही आहत कमलेश के परीक्षण के दौरान आहत की भुजा के बाहरी तरफ 3 गुणा 1 इंच आकार का रगड़ा होना बताया है। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री-4 एवं प्रदर्श प्री-5 को भी प्रमाणित किया है।

10 कमलेश (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी गोल्डेश एवं अभियुक्त गणेश के बीच में झूमा झटकी हुई तब फरियादी गोल्डेश गिर गया और उसकी गर्दन में नुकिली चीज गढ़ गयी थी। डॉ. वी.पी. चौरिया (अ.सा.-3) ने आहत गोल्डेश को आयी चोट के संबंध में चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से आने संबंधित अभिमत प्रकट किया है। स्पष्टतः उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आहत/फरियादी गोल्डेश को अभियुक्त द्वारा किसी नुकिली या धारदार वस्तु से चोट कारित की गयी हो। फरियादी योगेश को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाये जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

11 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी तथा आहत कमलेश के साथ वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है परंतु धारदार हथियार छुरी से आहत गोल्डेश एवं फरियादी योगेश को चोट आयी ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी योगेश एवं आहत गोल्डेश को धारदार छुरी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त गणेश को धारा 324(दो काउंट में) भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)